उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय
नोटिस
(अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)

सत्यमेव जयते

सेवा में,
KJ B****l**

वाहन संख्या:	**UP90L3898**	इंजन संख्या:	....
वाहन अवधि	....	चेसिस संख्या:	....
वाहन श्रेणी:	**M-Cycle/Scooter(2WN)**	वाहन स्वामी का नाम:	**K**J B****l**
वाहन पंजीयन की वैध्यता अवधि:	....	वाहन स्वामी के पिता का नाम:	**K****A Y***V**
वाहन स्वामी का मोबाइल:	*******614	वाहन स्वामी का पता:	**4*8 , J****J M****************, B***a - *****1**

यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण

चालान संख्या: UP101767220531102412

तिथि / समय	स्थान	उल्लंघन का विवरण	शमन शुल्क (रु.)
31-05-2022 10:24:12	F8FR+8HQ, Aliganj, Parchhachh,Tilsaras, Uttar Pradesh 210507, India	1: Driving Two-wheeled without helmets (Section 194 D of MVA 1988 RW section 129 of CMVA and rule 121 of U.P. MVR 1998.)	1000/-

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है । अत:एव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बंधित आरोपों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर 3 दिन के अन्दर शमन कराये । अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शमन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यमों द्वारा कर सकते हैं -
1 ऑनलाइन: https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
2 स्थानीय भुगतान केन्द्र: SP/CO Traffic Police, Banda

सौजन्य से,
प्रभारी, यातायात प्रवर्तन केन्द्र
जिला :Banda

सेवा में,
KJ B****l**

ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन पे सिर्फ जुर्माना ही नहीं
आपको अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड सकती है!

पीछे के पृष्ट पर दर्शाये गये आपके वाहन के छायाचित्र, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की किसी धारा-धाराओं का उल्लंघन करते हुए लिए गये हैं । जैसे सिग्नल तोड़ना, अविवेकी रूप से गाडी चलाना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना, गाडी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना या उन 32 उल्लघनो मेँ से कोई जो कि अधिनियम मेँ सूचीबद्ध है । ये नोटिस आपको एम.वी.ए., 1988, धारा 133 (मोटरयान के स्वामी का किसी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस ऑफिसर द्वारा मांगें जाने पर जानकारी देने का कर्तव्य) के अन्तर्गत भेजा जा रहा है । इस नोटिस के अनुसार वाहन स्वामी होने के नाते नोटिस मिलने के 7 दिनो के अंदर आपको, उक्त घटनाकम के समय वाहन चला रहे व्यक्ति (चालक अथवा कंडक्टर) का नाम, पता व ड्राईविंग लाइसेंस नंबर, और उससे सम्बंधित कोई भी जानकारी जो आपको ज्ञात हो, हमें बताना अनिवार्य है । जानकारी प्रस्तुत करने मेँ असफ़ल होने पर एम.वी.ए., 1988, धारा 187 (धारा 133 एम.वी.ए., 1988, का अनुपालन न करने पर दण्ड) के अन्तर्गत आपका 500 रु. जुर्माना अथवा 3 महीने तक की जेल या दोनो हो सकते है । इसी धारा के अन्तर्गत भविष्य मेँ दोबारा जानकारी न दे पाने की स्थिति मेँ आपको 6 महीने तक की जेल या 1000 रु. तक जुर्माना या दोनो हो सकते है । ये चालान सिर्फ आपको आपके यातायात उल्लंघन के बारे में सूचित करने के लिए नहीं है । इसका उददेश्य आपको ये समझाना है कि यातायात नियमों का पालन न करने से आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम मेँ डालते है । उ. प्र. ट्रेफिक पुलिस द्वारा एकत्रित और विश्लेषण किया गया सन 2009 से 2018 के बीच का डाटा एक बडी गभीर और चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाता है । और हम सड़क सुरक्षा के संगरक्षक होने के नाते आपके सक्रिय सहयोग से इसे निश्चित रूप से बदलना चाहेंगे ।

उ. प्र. की 45% दुर्घटनाएं जानलेवा होती है ।
सिर्फ वर्ष 2019 मेँ उ. प्र. मेँ 22655 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओँ मेँ अपनी जान गंवायी ।
निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज गाडी चलाना उ. प्र. मेँ सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है और दुर्घटनाएं ज्यादातर अच्छी सतह की फ्लैट सड़कों और सीधे राजमार्गो पर होती हैं ।
अधिकतर दुर्घटनाएं और मौतें मई, जून और दिसम्बर के महीनो मेँ सुबह-10-बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से - 6 बजे के बीच के अच्छे और शुष्क मौसम मेँ हुई है ।
ऐसा पाया गया है कि उ. प्र. की सड़कॉ पर मोटर साईकिलों/ स्कूटरों से ट्रकों से भी ज्यादा दुर्घटनाएं और मौतें होती है ।

हम, उ. प्र. यातायात पुलिस, जानते है कि आपका जीवन अमूल्य है और आप से हर समय, हर बार ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह करते है चाहे आप कोई गाडी चला रहे हो या पैदल हो । क्योंकि सड़क पर एक पल की लापरवाही, जल्दीबाजी या अविवेकी व्यवहार आपकी यात्रा को आपकी अतिम यात्रा मेँ बदल सकता है ।
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी हर पहल में भागीदार बनिए और जुडिए हमारे फेसबुक पेज से.

Copyright © 2018 National Informatics Centre